उत्तर प्रदेश शासन

धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या- 4/2015/464/-57-2015-2(2)/92टी0सी0-2

लखनऊ दिनांक: 06 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

धमार्थ कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक:29 अगस्त, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या- 29 सन 1983) एवं यथासंशोधित अधिनियम 2003 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आचार्य पं0 अशोक द्विवेदी पुत्र स्व0 आचार्य पं0 अरूण कुमार शर्मा द्विवेदी, नि0-बी-1/3-ई-ए-रवीन्द्रपुरी एक्सटेंशन, अस्सी, वाराणसी को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद वाराणसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

2- आचार्य पं0 अशोक द्विवेदी को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद वाराणसी की बैठकें नियमित रूप से न कराने, न्यास परिषद में लिये गये निर्णयों को अनुपालन न कराये जाने तथा इनके कार्यकाल में न्यास परिषद के पंगुप्राय होने के कारण उ0 प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-8 (2) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार दिनांक: 07-04-2015 को शासन में अपना पक्ष रखने के लिये आदेश दिये गये थे परन्तु श्री अशोक द्विवेदी द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों का सन्तोषजनक उत्तर शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ0 प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983, की धारा-8(3) के अनुसार आचार्य पं0 अशोक द्विवेदी, अध्यक्ष, न्यास परिषद, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से पदच्युत किया जाता है।

नवनीत सहगल

प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/2015/464/2015-57-2015-2(2)/92टी0सी0-2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

2- आचार्य पं0 अशोक द्विवेदी पुत्र स्व0 आचार्य पं0 अरूण कुमार शर्मा द्विवेदी, निवासी-बी-1/3-इ-ए-रवीन्द्रपुरी एक्सटेंशन, अस्सी, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- जिलाधिकारी, वाराणसी।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी।

5- निजी सचिव, मंत्री जी, धर्मार्थ कार्य विभाग।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बाबूलाल श्रीवास

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।